

# राजोन्द्र आयुषिकान संस्थान

## राँची

Section 05(1) and 19(1)

List of Public Information Officers/First Appellate Authorities of the Department / Organisation and its field offices and disposal of RTI applications and first appeals-

Sl.no	Name of official Designation of PIO नाम फॉनेकॉल नंबर	No of RTI Applications filed before PIO प्रियोरिटी नंबर	No of Disposal of RTI Applications before first Appeal प्रियोरिटी नंबर	Application Fee	Cost of information provided	Total amount	Name of official Designation of first Appeal with Phone/Call नाम फॉनेकॉल नंबर	No of Appeals filed before first Appeal प्रियोरिटी नंबर	No of Disposal of Appeal allowed (a) प्रियोरिटी नंबर	No of Disposal of Appeal Rejected (b) प्रियोरिटी नंबर	Remarks	
	Dr. S. Majhi कल्पना Assessment Officer Department of P.T.T.	169	90	11	1395	—	0431129849 प्रियोरिटी नंबर	—	21	21	—	
	Dr. S. Majhi कल्पना Assessment Officer Department of P.T.T.	169	90	11	1395	—	0431102200 प्रियोरिटी नंबर	—	21	21	—	
	Dr. S. Majhi कल्पना Assessment Officer Department of P.T.T.	169	90	11	1395	—	0431102200 प्रियोरिटी नंबर	—	21	21	—	

Signature  
12.3.2018

Dr. Sanjay Kumar  
First Appellate Authority  
Associate Professor,  
Information  
Officer  
P.I.O. At various  
levels

R.M.S. Kandula  
R.M.S. Kandula

84

Section 4 (1)(b)

1. Whether seventeen point information under the mandatory provision of Section 4 (a)(b) has been prepared or not? Yes/ No.

2. If prepared, has it been given wide publicity or not? Yes/ No.

3. The mode of publicity -

a. Put on internet/ Jharnet- Yes/ No.

b. Published in Newspaper- Yes/ No.

c. By any other means- elaborate

(Such as keeping one set in the library for general public)

4. Whether the information is updated time to time? If, yes, the frequency of such updating in a year.

5. Whether field offices have prepared the seventeen point information under section 4(1)(b) or not  NA

6. If prepared, the same has been given wide publicity or not and its mode-

a. Number of field offices where PIO has been appointed. — 39

b. Number of N.G.O (under the control of the Department and R.T.I Act is applicable on them) where P.I.O have been appointed.

c. Number of field offices where section 4(1)(b) has been complied.

d. Number of N.G.O where Section 4(1)(b) has been complied. NA

e. Those who have prepared the seventeen point information

have given wide publicity to it or not-

i). by putting it on internet- Yes/ No (in percentage)

ii). by publishing in newspaper- Yes/ No (in percentage)

iii). By any other means- elaborate ~~NA~~ on Notice board at public areas.

(Such as keeping one set in the library for general Public.)

*Dharmendra*  
21.3.2019  
O.I.O. Admin.  
M/S P.M.U.

(06)

441

## Suo Moto information to the Public

### (Section 4(2))

1. Whether suo moto information has been facilitated to the public - Yes/No ✓
2. If facilitated the mode-
  - a). Internet/Jharnet Yes/No ✓
  - b). Booklet form Yes/No ✓
  - c). By any other means elaborate only display on public place
3. Nature of information
 

- NA -  
(elaborate like notification, logbook, file notes, records, samples, etc.)
4. Quantum / Volume of such information (Total number of pages) NA
5. Whether information is updated time to time - Yes/No ✓
6. If information is updated, its frequency in a year. Once.

Dhamma  
21.3.2018  
P.I.O. Admin.  
RIMS Rourkela

(07)

## Format of Report for the Department / Organization RIMS RANCHI

1. Maintenance of record duly catalogued and indexed including computerization of records (Section 4(1)a). Yes.
2. Compliance on seventeen points (Section 4(1)b).  
*(Format enclosed for report)*
3. Suo motu information to the public (Section 4(2)). Yes.  
*(Format enclosed for report)*
4. Appointment of PIO's and assistant PIO's (Section 5(1)). Yes.  
Notification, Name, Address, Phone No. of PIO's and Assistant PIO's wide circulation.  
*(Format enclosed for report)*
5. Appointment of senior officer to PIO as 1<sup>st</sup> appellate authority  
(Section 19(1)). Yes.  
*(Format enclosed for report)*
6. Submission of report to the commission by different departments as laid down under section 25 (3)(monthly). ~~on yearly basis~~ <sup>No.</sup>
7. Steps for the organization of educational programmes so that public could exercise the right contemplated under the Act (Section 26(1)a). Yes.
8. Training of PIO's (Section 26(1)d). — Done.
9. The appropriate Govt. has to prepare guide-lines within 18 months as laid down under section 26 (2). Yes.

*Answered  
21.3.2018  
P.I.O. Admin.  
RIMS Ranchi*

## निर्देशक का कार्यालय : राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रौची।

कार्यालय आदेशांक ..... / रा०३ा०८०, रौची, दिनांक .....

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सुनिश्चित कार्यान्वयन हेतु संरथान के निम्नलिखित पदाधिकारियों को नामित सहायक जन सूचना पदाधिकारी, जन सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी घोषित किया जाता है। इसी पदाधिकारीण नियमानुकूल कार्य का निष्पादन करेंगे।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सहायक जनसूचना पदाधिकारी	जनसूचना पदाधिकारी	अपीलीय पदाधिकारी
1.	रिस्प्रेसो प्रसादान	श्री सुमाष्टचन्द्र भगत, रायरस्थ प्रशिक्षक पी.एस.एम. विभाग	डा० संजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, एफ.ए.टी. विभाग	निर्देशक, रिस्प्रेस
2.	एनाटोंजी विभाग	डा० के.के.पी. सिंह, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
3.	फिजियोलॉजी विभाग	डा० कुमार आशुतोष, द्यूटर	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
4.	बायोकॉमेस्ट्री विभाग	डा० तारिक अजीज़, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
5.	पैथोलॉजी विभाग	डा० रवीन्द्र कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
6.	माइक्रोबायोलॉजी	डा० अशोक कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
7.	फॉरमाकॉलॉजी	डा० तरेन मांझी, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
8.	एफ. एम. टी.	डा० मनोज कुमार कोडा, द्यूटर	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
9.	पी०एस०एग०, विभाग	डा० विठ्ठल कुमार, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
10.	ओष्ठि विभाग	डा० मनोज कुमार प्रसाद, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
11.	शिशु विभाग	डा०(ग्रीसेज) सुनन्दा डा०, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
12.	चार्मरोग विभाग	डा० प्रभात कुमार, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
13.	शल्य विभाग	डा० गृष्णा गुरारी, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
14.	शिशु शल्य विभाग	डा० हिरेन्द्र विरुद्धा, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
15.	दन्त विभाग	डा० उषा पांडेय, दन्त सर्जन।	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
16.	आर्थोडिक विभाग	डा० गोविन्द कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
17.	न्यूरोसर्जरी विभाग	डा० आनन्द प्रकाश, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
18.	स्ट्रीरोग एवं प्रसूति विभाग	डा० अर्चना कुमारी, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
19.	इ.एन.टी. विभाग	डा० रांदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
20.	स्लड बैंक	डा० कान्ति कुमार सिंह, मेडिकल ऑफिसर	प्रापारी / विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
21.	टी.बी. एवं चेरट विभाग	डा० लक्ष्मण गण्डल मेडिकल ऑफिसर	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस
22.	कार्डियोलॉजी विभाग	डा० प्रकाश कुमार, संहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निर्देशक, रिस्प्रेस

२११

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सहायक जनसूचना पदाधिकारी	जनसूचना पदाधिकारी	आपीलीय पदाधिकारी
23.	रेडियोथेरेपी		विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिस्स
24.	चश्मे विभाग	डा० राहुल प्रसाद, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिस्स
25.	रेडियोलॉजी विभाग	डा० पारसनाथ शाम, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिस्स
26.	निश्चेतना विभाग	डा० प्रदीप तुगार तियारी, सहायक प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिस्स
27.	मातृका	श्रीमति निलामा रुण्डा, सहायक मातृका	प्रभारी मातृका	निदेशक, रिस्स
28.	एम०आर०ड०		प्रभारी	निदेशक, रिस्स
29.	नर्सिंग कॉलेज, रिस्स		प्रभारी प्राचार्या	निदेशक, रिस्स
30.	लोबोरेट्री मेडिसीन		प्रभारी	निदेशक, रिस्स
31.	जेनेटिक रिसर्च		प्रभारी / विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिस्स
32.	पारामेडिकल		प्रभारी / विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिस्स
33.	मनोचिकित्सा विभाग		विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिस्स
34.	यूरोलॉजी		विभागाध्यक्ष	निदेशक, रिस्स
35.	छात्रायास		छात्रायास अधीक्षक	निदेशक, रिस्स
36.	आकाशियर्पी		प्रभारी	निदेशक, रिस्स

३७. चिकित्सा आयुष्मान कार्मिलय  
 ३८. उपत्रिदेशक प्रशासन कार्मिलय  
 ३९. विटेशक कीषाठा

- १० -

- १० -

- १० -

निदेशक

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संरथान, राँची।

झापांक ६८८२ / रा०आ०रा० राँची, दिनांक २३, ०५-१६

प्रतिलिपि:- सभी नामित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mu २३/५/१६

निदेशक

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संरथान, राँची।